न्यायालय भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

(पीठासीन अधिकारी डॉ0 अनुपमा टेलर, आर.ए.एस.)

अपील संख्या 122/2019 **दायरा दिनांक : 28.08.2019**

उनवान

1– रामप्रसाद आयु 55 साल पुत्र श्री गोबरीलाल, जाति मीणा

2– रामकिशन उम्र 35 साल पुत्र रामप्रसाद, जाति मीणा

निवासीगण ग्राम महुआ, तहसील मांगरोल, जिला बारां

.... अपीलांटगण

बनाम

1– चतुर्भुज पुत्र श्री गोपीलाल, जाति मीणा, निवासी ग्राम महुआ थाना सीसवाली, तहसील मांगरोल, जिला बारां

2– राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार मांगरोल

.... रेस्पोडेंट

उपस्थित – श्री कमलदीप सिंह अभिभाषक अपीलांट की ओर से

निर्णय **दिनांक : 21.11.2022**

यह अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम उपखण्ड अधिकारी, मांगरोल के प्रकरण संख्या – 81/2017 निर्णय व डिक्री दिनांक 31.08.2018 से अप्रसन्न होकर पेश की गई है ।

रमेश बहादुर सिंह पाल
स्टेनो–(पी. ए.)
भू प्रबन्ध अधिकारी, कोटा

डॉ0 अनुपमा टेलर
भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

अपील के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि अधीनस्थ न्यायालय में वादी रेस्पोडेंट ने एक दावा अन्तर्गत धारा 183 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम पेश किया और यह कथन किया कि ग्राम महुआ, तहसील मांगरोल की आराजी खाता संख्या 68 जमाबंदी सम्वत 2071–2074 में वर्णित आराजी खसरा नम्बर 109/1097 रकबा 0.56 हेक्टर वादी के खाते दर्ज है, जो उसको कीमतन आवंटन हुई थी। वादी उक्त आराजी पर काबिज काश्त था तथा राजस्व रेकार्ड में वादी का नाम बतौर खातेदार कृषक दर्ज है। वादी की आराजी सेलगवा उत्तरी ओर प्रतिवादी कम 1 रामप्रसाद की आराजी स्थित है। रामप्रसाद ताकत के बल पर प्रतिवादी कम 2 रामकिशन अपने पुत्र के सहयोग से आये दिन वादी चतुर्भुज के खेत की मेडों को तोड़कर आराजी को नुकसान पहुंचाकर कब्जा करने का प्रयास करता रहता है। जिसकी पुलिस थाना सीसवाली में वादी द्वारा रिपोर्ट कराये जाने के पश्चात् भी प्रतिवादी कम 1 व 2 ने विवादित आराजी पर से कब्जा नहीं हटाया व अवैध ढंग से आराजी पर कब्जा कर लिया है। प्रतिवादी कम 1 व 2 का आराजी में कोई हक नहीं है लेकिन जबरन ताकत के बल पर वादी के खाते की आराजी खसरा नम्बर 109/1097 रकबा 0.56 हेक्टर में दखलअन्दाजी कर अतिक्रमण कर कब्जा करने पर आमादा है। अतः न्यायहित में वादी प्रतिवादीगण को आराजी खसरा नम्बर 109/1097 रकबा 0.56 हेक्टर में दरखलअन्दाजी न करने, अवैध अतिक्रमण न करने के लिए स्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जावे । अधीनस्थ न्यायालय ने वादी का वाद स्वीकार कर लिया, जिससे अप्रसन्न होकर अपीलांट ने यह अपील पेश की। अपील में अपीलांट ने कथन किया है कि अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय खिलाफ कानून, संचिका में सिद्धी प्राप्त तथ्यों के विपरीत होने से निरस्तनीय है। अधीनस्थ न्यायालय में अपीलांट/प्रतिवादी अपनी साक्ष्य, जवाब एवं दस्तावेज पेश नहीं कर सकते हैं।

रमेश बहादुर सिंह पाल
स्टेनो–(पी. ए.)
भू प्रबन्ध अधिकारी, कोटा

डॉ0 अनुपमा टेलर
भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

वादी रेस्पोडेंट कम 1 द्वारा अधीनस्थ न्यायालय में वाद अन्तर्गत धारा 183 आर टी ए वास्ते बेदखली दायर किया गया था ,परन्तु अधीनस्थ न्यायालय ने अपने निर्णय में अपीलांट प्रतिवादी के खिलाफ स्थायी निषेधाज्ञा भी जारी कर दी जो कि कानूनन गलत है तथा वाद में डिक्री भी नहीं बनायी गई है । अपीलांट/प्रतिवादी को भी वादी/रेस्पोडेंट के साथ–साथ उसके पास की आराजी रकबा 0.56 हेक्टर आवंटित हुई थी तथा आवंटन की दिनांक से ही वह उक्त रकबे 0.56 हेक्टर पर निर्बाध रूप से काबिज काश्त चले आ रहे हैं, परन्तु एकपक्षीय निर्णय पारित कर दिये जाने से अपीलांट/प्रतिवादी अपनी साक्ष्य व अपना पक्ष अधीनस्थ न्यायालय में नहीं रख सके हैं, जिससे न्याय के सिद्धांतों की अवहेलना हुई है तथा अपीलांट के विधिक अधिकारों का हनन हुआ है। अतः अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय निरस्तनीय है। अतः अपील अपीलांट स्वीकार कर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय अपास्त किया जावे तथा पत्रावली को पुनः सुनवायी हेतु अधीनस्थ न्यायालय को प्रतिप्रेषित की जावे।

अपील के साथ धारा 5 मियाद अधिनियम का प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र प्रस्तुत कर यह कथन किया गया है कि अधीनस्थ न्यायालय ने पंचायतवार तारीख पेश नियत की जाती है जिससे वकील साहब पंचायतवार पेशी नोट कर रहे थे, परन्तु लगभग 20–25 दिन पूर्व वादी/रेस्पोडेंट द्वारा यह कहने पर कि मेरे प्रकरण का निर्णय हो चुका है और तुम्हारा इस आराजी पर कोई हक, अधिकार नहीं है, सर्वप्रथम जानकारी हुई। जानकारी की तिथि से अपील अवधि मध्य है । अतः विलम्ब का शमन किया जाये ।

अपील प्राप्त होने पर सब्जेक्ट टू लिमिटेशन दर्ज रजिस्टर की गई । नोटिस जारी किये गये । रेस्पोडेंट की ओर से किसी के उपस्थित नहीं आने पर एक तरफा बहस योग्य अभिभाषक अपीलांट सुनी गई ।

डॉ0 अनुपमा टेलर
भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

टंकणकर्ता
रमेश बहादुर सिंह पाल
स्टेनो–(पी. ए.)
भू प्रबन्ध अधिकारी, कोटा

हमने बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया । अपीलांट के लायक अधिवक्ता ने सर्वप्रथम अपील प्रस्तुत करने में हुए विलम्ब अवधि को क्षम्य किये जाने का निवेदन किया । हमने अपीलांट द्वारा प्रस्तुत भारतीय मियाद अधिनियम की धारा 5 के अन्तर्गत प्रस्तुत प्रार्थना पत्र का अवलोकन किया एवं उभयपक्ष के लायक अधिवक्ता की बहस पर मनन किया। ए.आई.आर. 1998 (एस.सी.) पृष्ठ संख्या 3222 बालकृष्ण बनाम कृष्णामूर्ति के प्रकरण में माननीय उच्चतम न्यायालय ने अभिमत दिया है कि पर्याप्त कारण दिये हैं तो विलम्ब को क्षम्य कर देना चाहिए। माननीय उच्चतम न्यायालय ने उक्त निर्णय के पैरा संख्या 11 में यह सिद्धांत प्रतिपादित किया है कि मियाद अधिनियम एक प्रक्रियात्मक विधि है जिसे प्रकरण के गुणावगुण को ध्यान में रखते हुए यदि कोई विलम्ब हुआ है तो उसको उपसमन करते हुए प्रकरण का निस्तारण गुणावगुण के आधार पर किया जाना चाहिए। अतः अपीलांट द्वारा प्रस्तुत भारतीय मियाद अधिनियम की धारा 5 का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है।

तहसीलदार मांगरोल की मौका रिपोर्ट दिनांक 18.08.2022 प्राप्त हुई जिसके पत्र कमांक/राजस्व/2022/1330 दिनांक 18.08.2022 के अनुसार ग्राम महुआ की आराजी खसरा संख्या 109/1097 रकबा 0.56 हेक्टर की वर्तमान मौका स्थिति एवं कब्जे की रिपोर्ट चाही गई है। जिसके सम्बन्ध में दिनांक 18.08.2022 को ग्राम महुआ में उक्त भूमि के मौके पर उपस्थित होकर मौका पर्चा तैयार किया । मुताबिक राजस्व रिकार्ड खसरा नम्बर 109/1097 रकबा 0.56 हेक्टर पर चतुर्भुज पुत्र गोपीलाल, जाति मीणा खातेदार दर्ज है, खसरा नम्बर 109/1098 रकबा 0.56 हेक्टर पर रामप्रसाद पुत्र गोबरी लाल, जाति मीणा खातेदार दर्ज है, वर्तमान में इन दोनों खसरा नम्बरान की बीच में मेड पड़ी हुई है एवं दोनों में सोयाबीन की फसल बोई हुई है। मौके पर उपस्थित वादी, प्रतिवादी एवं अन्य ग्रामवासियान से जानकारी करने पर बताया गया कि खसरा नम्बर 109/1097 रकबा 0.56 हेक्टर पर खातेदार चतुर्भुज

डॉ0 अनुपमा टेलर
भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

रमेश बहादुर सिंह पाल
स्टेनो-(पी. ए.)
भू. प्रबन्ध अधिकारी, कोटा

पुत्र गोपीलाल मीणा का कब्जा काश्त है एवं खसरा नम्बर 109/1098 रकबा 0.56 हेक्टर पर खातेदार रामप्रसाद पुत्र गोबरीलाल मीणा का कब्जा काश्त है।

तहसीलदार मांगरोल की मौका रिपोर्ट दिनांक 18.08.2022 के आधार पर वादग्रस्त आराजी पर खातेदार काश्तकार ही कब्जेधारी भी है । इस प्रकार अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय उचित होने से हम उसमें किसी प्रकार का हस्तक्षेप किया जाना उचित नहीं समझते हैं । अतः अपील अपीलांट सारहीन प्रतीत होती है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलांट खारिज की जाती है । अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 31.08.2018 यथावत रखा जाता है ।

निर्णय आज दिनांक 21.11.2022 को लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

21/11/2022

(डॉ0 अनुपमा टेलर)
भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

टंकणकर्ता

[illegible] बहादुर सिंह पाल
स्टेनो-(पी. ए.)
भू प्रबन्ध अधिकारी, कोटा

डिक्री व सीगे अपील

Jud/Civ
Part IV-4

(ऑ. 41, रूल 35 जाप्ता दीवानी)

(Civil Procedure Code, Appendix G'9)

अज अदालत न्यायालय भू–प्रबंध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा मुकाम कोटा

डॉ0 अनुपमा टेलर, आर.ए.एस. पीठासीन प्राधिकारी, कोटा (राजस्थान)

1– रामप्रसाद आयु 55 साल पुत्र श्री गोबरीलाल, जाति मीणा
2– रामकिशन उम्र 35 साल पुत्र रामप्रसाद, जाति मीणा निवासीगण ग्राम महुआ, तहसील मांगरोल, जिला बारां

.....अपीलान्ट्स

बनाम

1– चतुर्भुज पुत्र श्री गोपीलाल, जाति मीणा, निवासी ग्राम महुआ थाना सीसवाली, तहसील मांगरोल, जिला बारां
2– राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार मांगरोल

.... रेस्पोडेंट

अपील नं. 122/2019
मु.द.नं0 81/2017

एवं

नाराजगी डिक्री अदालत – उपखण्ड अधिकारी, मांगरोल
निर्णय व डिक्री दिनांक – 31.08.2018

दावा बाबत

माह अपील व तारीख 09 माह 11 सन् 2022

हाजरी **श्री कमलदीप सिंह** अभिभाषक मिनजानिब अपीलांट की ओर से

समाअत के लिये पेश होकर हुक्म हुआ कि :–

अपील अपीलांट खारिज की जाती है । अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व डिकी दिनांक 31.08.2018 यथावत रखा जाता है ।

बाबत मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत आज तारीख 21 माह 11 सन् 2022 को जारी किया गया ।

मोहर

21/11/2022
(डॉ0 अनुपमा टेलर)
भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा (राज0)